



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072022-237138
CG-DL-E-07072022-237138

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2937]
No. 2937]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2022/आषाढ़ 15, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2022/ASHADHA 15, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2022

का.आ. 3087(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ 2148 (अ) तारीख 9.05.2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में नव प्रस्तावित NH-NE-5 दिल्ली-लुधियाना-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के कि.मी. कि.मी. 514.5 से कि.मी. 566.42 (वज़रात रोड, पीर खो, पक्की ढाकी, जम्मू, जम्मू और कश्मीर 180001) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "22.05.2022 को "डेली एक्सेलसियर "और अमर उजाला" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू जिले में नव प्रस्तावित NH-NE-5 दिल्ली-लुधियाना-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के कि.मी. 514.5 से कि.मी. 566.42 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: जम्मू		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: डंसल				
	गांव का नाम: डाइमी				
1	65 min	निजी	गैर कृषि	0.2934	मालिक: गोपाल दास 99K-1M 0 sqft पुत्र शंकर दास महाजन निवासी कैनाल रोड जम्मू कल्टीवेटर: मकबूजा सेल्फ कब्ज़ा: याकीन अली पुत्र रहीम बख्श गुजर ()
2	66 min	निजी	गैर कृषि	0.0051	मालिक: गोपाल दास 99K-1M 0 sqft पुत्र शंकर दास महाजन निवासी कैनाल रोड जम्मू कल्टीवेटर: मकबूजा स्व कब्ज़ा: नूर मो. पुत्र जमाल दीन गुजर ()
3	67 min	निजी	गैर कृषि	0.1871	मालिक: गोपाल दास 99K-1M 0 sqft पुत्र शंकर दास महाजन निवासी कैनाल रोड जम्मू कल्टीवेटर: जमाल दीन पुत्र उमर दिन गुजर कब्ज़ा: नूर मो. पुत्र जमाल दीन गुजर ()
4	68 min	निजी	कृषि	0.2908	मालिक : नूर मो. पुत्र जमाल दिन 10 कनाल 10 मरला 243 sq ft सोबत अली, सुमीर अली, सैफ अली पुत्र शुक्रा बीबी के बराबर हिस्सा 12K-10M 243

					sq ft, चिराग दिन 0K-8M 218 sq ft पुत्र कासिम बीबी 0K- 8 M 218 sq ft हकम बीबी 0 K-8M 218 sq ft बेटी मीरान बीबी 0 K-8 M 218 sq ft w/o स्वर्गीय हकम दिन गुज्जर निवासी देह। कल्टीवेटर: सेल्फ कल्टीवेटर कब्ज़ा: नूर मो. (4K-16M)। शुक्रान बीबी के बेटे सोबत अली और अन्य (19 M) ()
5	69 min	निजी	गैर कृषि	0.0139	मालिक: गोपाल दास 99K-1M 0 sqft पुत्र शंकर दास महाजन निवासी कैनाल रोड जम्मू कल्टीवेटर : मो. शरीफ पुत्र हकूब गुजर निवासी देह कब्ज़ा:मो. शरीफ पुत्र हकूब गुजर निवासी देह ()
6	70 min	निजी	गैर कृषि	0.0303	मालिक: गोपाल दास 99K-1M 0 sqft. पुत्र शंकर दास महाजन निवासी कैनाल रोड जम्मू कल्टीवेटर: मकबूजा स्व कब्ज़ा:मकबूजा स्व ()
			कुल	0.8206	

[फा. सं. NHAI/PIU/JAMMU/DAKP/001/3D2]

राजेश गुप्ता , निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2022

S.O. 3087(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O 2148 dated 09.05.2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Newly Proposed NH NE-5 Delhi-Ludhiana-Amritsar-Katra Expressway in the stretch land from Km. 514.5 to Km. 566.42 (Wazarat Road, Peer Kho, Pakki Dhaki, Jammu, Jammu and Kashmir 180001) in the district of JAMMU in the UT of JAMMU & KASHMIR.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Daily Excelsior and Amar Ujjala" both dated 22.05.2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Newly Proposed NH NE-5 Delhi-Ludhiana-Amritsar-Katra Expressway in the stretch of land from Km 514.5 to Km 566.42 in the district of JAMMU in the UT of JAMMU & KASHMIR

State: JAMMU & KASHMIR			District: JAMMU		
Sr. NO.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Dansal				
	Village: Dhayami				
1	65 min	Private	Non Agriculture	0.2934	Owner: Gopal Dass 99K-1M 0 sqft son of Shankar dass mahajan r/o canal road Jammu Cultivator: Makbooza self Kabza: Yakeen Ali S/o Rahim Baksh Gujar
2	66 min	Private	Non Agriculture	0.0051	Owner: Gopal Dass 99K-1M 0 sqft son of Shankar dass mahajan r/o canal road Jammu Cultivator: Makbooza self Kabza: Noor Mohd. S/o Jamal Din Gujar
3	67 min	Private	Non Agriculture	0.1871	Owner: Gopal Dass 99K-1M 0 sqft son of Shankar dass mahajan r/o canal road Jammu Cultivator: Jamal din S/o Umar din Gujar R/o deh Kabza: Noor Mohd. S/o Jamal Din Gujar
4	68 min	Private	Agriculture	0.2908	Owner: Noor Mohd. S/o Jamal din 10 Kanal 10 Marla 243 sq ft sobat Ali, Shamsher Ali , Saif Ali sons of Shukra Bibi equal share 12K-10M 243 sq ft, Chirag din 0K-8M 218 sq ft son Qasim Bibi 0K-8M 218 sq ft Hakam bibi 0 K-8 M 218 sq ft daughters Meeran Bibi 0 K-8 M 218 sq ft w/o Late Alam Din Gujjar R/o Sakandeh Cultivator: self cultivator Kabza: Noor Mohd. (4K-16M). Sobat Ali and others sons of Shukran Bibi (19 M)
5	69 min	Private	Non Agriculture	0.0139	Owner: Gopal Dass 99K-1M 0 sqft son of Shankar dass mahajan r/o canal road Jammu Cultivator: Mohd. Shareef S/o Haku Gujar R/o Deh Kabza: Mohd. Shareef S/o Haku Gujar R/o Deh
6	70 min	Private	Non Agriculture	0.0303	Owner: Gopal Dass 99K-1M 0 sqft. son of Shankar dass mahajan r/o canal road Jammu Cultivator: Makbooza self Kabza: Makbooza self
			TOTAL	0.8206	

[F. No. NHAI/PIU/JAMMU/DAKP/001/3D2]
RAJESH GUPTA, Director